राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,

वेबसाईट : **www.rajexcise.gov.in** ई–मेल : **purchasersgsm@gmail.com**

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

दर संविदा लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु

(वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये)

द्वि–भाग निविदा

भाग– प्रथम

तकनीकी निविदा

निविदा क्रमांक– /मुख्या./लोडिंग अनलोडिंग/खुली निविदा/2017–18/132 दिनांक 15.12.2017

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का दिनांक व समय	:	दिनांक 18.01.2018 को सायं 6.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 18.01.2018 को सायं 6.00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 19.01.2018 को प्रातः 12.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय निविदा खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 1180 जीएसटी सहित मात्र
निविदा प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006
फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स न0 : 0141–2740676

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक–आरएसजीएसएम / मुख्या. / लोडिंग व अनलोडिंग / खुली निविदा / 2017–18 / 132

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन स्थापित विभिन्न मदिरालयों पर वाहनों में माल व सामान की लोडिंग / अनलोडिंग हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति / फर्म / कंपनी से ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

कार्य	अनुमानित व्यय	निविदा प्रपत्र शुल्क प्रोसेसिंग फीस	बोली प्रतिभूति राशि	बोली की वैधता अवधि	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
मदिरालयों पर लोडिंग / अनलोडिंग का कार्य	रू. 0.56 लाख से 18.63 लाख तक	रू. 1180 जीएसटी सहित मात्र एवं रू. 1000 मात्र	अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत (मदिरालय वार विवरण एनेक्सर ई पर देखें)	90 दिवस	दिनांक 18.01.2018 सायंकाल 6.00 बजे तक	दिनांक 19.01.2018 को प्रातः 11.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर

2. निविदा सभी मदिरालयों के लिये आमंत्रित की गई है। निविदा में दर संबंधित मदिरालय के लिये देनी होंगी। कोई भी ***निविदादाता एक या एक से अधिक या सभी मदिरालयों के लिये दर प्रस्तुत (quote) कर सकता है।***

3. यदि निविदादाता किसी एक मदिरालय के लिये ही इच्छुक है तो बोली प्रतिभूति राशि एक मदिरालय के लिये ही देनी होगी। सफल निविदादाता घोषित होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि एक मदिरालय के लिये ही देनी होगी। यदि निविदादाता एक से अधिक मदिरालयों या सभी मदिरालयों के लिये इच्छुक है तो उसी अनुसार बोली प्रतिभूति राशि व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि तदनुसार देनी होगी।

4. ***दर मासिक आधार पर ही वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की जावे। माल एवं सेवा कर (GST) पृथक से देय होगा अतः माल एवं सेवा कर (GST) की दर को वित्तीय निविदा में पृथक से दर्शायें। अगर पृथक से नही दर्शाया जायेगा तो यह माना जायेगा कि प्रस्तुत दर माल एवं सेवा कर (GST) सहित है।***

5. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

6. निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.rajexcise.gov.in or www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1180 जीएसटी सहित मात्र एवं बोली प्रतिभूति राशि जिसे RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा 18.01.2018को सायंकाल 6.00 बजे तक कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में अनिवार्यतः जमा कराना होगा। अन्यथा बिड स्वीकार योग्य नहीं होगी। साथ ही प्रोसेस फीस की राशि रू. 1000, MD, RISL, payable at Jaipur के पक्ष में जारी चैक/डीडी द्वारा 18.01.2018को सायंकाल 6.00 बजे तक कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में अनिवार्यतः जमा कराना होगा।
8. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं जावेगी।
9. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपलोड की गई निविदाओं को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला(डाउनलोड) जावेगा।
10. निविदादाता की तकनिकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी, तथा वित्तीय निविदा खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से निविदादाता को प्राप्त हो जावेगी।
11. तकनिकी निविदा के साथ माल एवं सेवा कर पंजीयन (GSTIN)/ईएसआई/पी.एफ./श्रम विभाग का पंजीकरण/आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियां निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
12. संबंधित सफल निविदादाता को 15 दिवस के भीतर–2 अनुबंध करना होगा, व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबंध के समय पर जमा करानी होगी।
13. संस्थान अधिकतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये निविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
14. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
16. कम्पनी मुख्यालय में ऑफलाईन केवल निविदा शुल्क, निविदा प्रासेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं निविदा प्रपत्र की सभी शर्त व नियम से सहमति का 100/– रू. का नान ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किये जावें। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें। साथ ही निविदादाता यह भी सुनिश्चित करें कि निविदा संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	
परिचय	
निविदा क्रमांक	आरएसजीएसएम/मुख्यालय/लोडिंग व अनलोडिंग/खुली निविदा/2017–18/132
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	मदिरालयों पर लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1180 जीएसटी सहित का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी चैक/डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
निविदा प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD, RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
निविदा जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर। फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : purchasersgsm@gmail.com
प्री बिड बैठक	हाँ, 28.12.2017 प्रातः 11.00 बजे
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
निविदादाता को बिड के साथ संलग्न करना है–	निविदा की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
बोली प्रतिभूति राशि	एनेक्सर 'ई ' में वर्णितानुसार
अधिकृत करना	निविदादता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in or sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
निविदा डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 18.01.2018 को सायंकाल 6.00 बजे तक वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in
तकनिकी निविदा डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 19.01.2018 प्रातः 12.00 बजे eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय निविदा डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें जमानत राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	संचालक मंडल, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लि0
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैं/हम ———————————————————(व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत ————————————————(पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम	———————————————————————
	———————————————————————
	———————————————————————
कार्यालय पता	———————————————————————
	———————————————————————
	———————————————————————
फैक्ट्री का पता	———————————————————————
	———————————————————————
	———————————————————————
दूरभाष संख्या	कार्यालय ———————————————————————
	निवास ———————————————————————
	फैक्ट्री ———————————————————————
	फैक्स ———————————————————————
	ई–मेल ———————————————————————
	मोबाईल———————————————————————

वैधानिक विवरणः–
फर्म/कंपनी/एक्ट में पंजीयन ———————————————————————

माल एवं सेवा कर पंजीयन (GSTIN) ———————————————————————

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

आयकर विभाग पंजीयन(पैन) ——————————————————

श्रम विभाग अनुज्ञा पत्र संदर्भ ——————————————————

पीएफ कोड ——————————————————

ई0एस0आई0 विवरण ——————————————————

माल एवं सेवा कर (**GST**) जमा की विवरणी का संदर्भ ——————————————————

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक ——————————————————

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि ——————————————————

निविदादाता का बैंक का नाम ——————————————————

बैंक खाता संख्या एवं आरटीजीएस न0 ——————————————————

हस्ताक्षर ——————————————————

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्त्ता ——————————————————

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited
4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan,Bhawani Singh Road, Jaipur – 302 006 (Rajasthan)

निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि आरएसजीएसएम कार्यालय, नेहरू सहकार भवन में नियमानुसार जमा करानी होगीः–

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	1000/- + 18% जीएसटी	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd. Jaipur
2	बोली प्रतिभूति राशि ✱	2% अनुमानित मूल्य का	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd. Jaipur
3	ई–टेन्डरिंग प्रकिया शुल्क	1000 /-	डिमाण्ड ड्राफ्ट	Managing Director, RISL, Jaipur

✱ बोली प्रतिभूति राशि 10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में रूपये 10.00 लाख से अधिक धनराशि ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी द्वारा उपरोक्त राशि निविदादाता द्वारा आरएसजीएसएम, मुख्यालय, जयपुर में दिनांक **18.01.2018** को **सांय 6.00** बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

2. निविदा में सभी संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। निविदादाताओं द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. ई–टेन्डरिंग के लिये निविदा दाता हेतु निर्देश

अ. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-II), इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ब. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

स. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

द. कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

य. टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

र. ऑन लाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

ल. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में भौतिक रूप में निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। इच्छुक निविदादाता के लिये ई–निविदा प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मदिरालय पर लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु निविदा के संबंध में विशेष शर्तें

*टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में " राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 " एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल **sppp.raj.nic.in** पर उपलब्ध है। अतः समस्त बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम , नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।*

1. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये मदिरालयों पर वाहनों में माल व सामान की लोडिंग/अनलोडिंग हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. **कार्य का विवरणः–** संबंधित मदिरालय पर देशी मदिरा कर्टन एवं सामानों /स्टोर सामग्री का वाहनो में लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त खाली बोतलों/अद्धे/पव्वों को वाहनों से अनलोड करके गोदाम परिसर में व्यवस्थित ढंग से रखना, बोतल/अद्धे/पव्वों के चट्टे लगाकर गिनती करवाना, व्यवस्थित रूप से रखना। सफल निविदाताओं को प्रत्येक रविवार के दिन आवश्यकतानुसार अपने मजदूर लगाकर गोदाम परिसर की सफाई करवानी होगी जिसमें टूटा कॉच एक स्थान पर एकत्रित करना आदि कार्य करने होंगे। कार्य के दरम्यान फैलाये गये कचरे की सफाई भी करनी होगी।
3. सफल निविदाताओं को खाली बोतलें/अद्धे/पव्वे वाहन से अनलोड करना तथा भरी बोतलों/अद्धे/पव्वों के कार्टन/कट्टे/कैरट्स वाहन में लोड करने का कार्य वाहन के मदिरालय में पहुंचने के तीन घंटे के अन्दर अंदर कार्य शुरू करवाना आवश्यक होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में 200/– रू प्रति घंटे की दर से शास्ती वसूली की जायेगी।
4. लोडिंग/अनलोडिंग हेतु प्रभार दरें निम्नानुसार रहेंगी–

क्र.सं.	माल/सामान	प्रभार दर (**माल एवं** सेवा कर (**GST**) सहित) (लोडिंग / अनलोडिंग दोनों के लिये मान्य)
1	खाली बोतल/अद्धे /पव्वा (पेट व कांच दोनों)	रू. 0.80 प्रति बोरी/पैक/कर्टन
2	पी.पी सील	रू. 0.80 प्रति बोरी/पैक/कर्टन
3	लेबल्स	रू. 0.80 प्रति पैक/कर्टन
4	बीओपी टेप रोल	रू. 0.80 प्रति पैक/कर्टन
5	गोंद	रू. 0.80 प्रति टिन/डिब्बा/कर्टन
6	खाली कर्टन/पैंकिंग सामग्री	रू. 0.80 प्रति बोरी/पैक/कर्टन
7	अन्य	रू. 0.80 प्रति ईकाई, जो भी हो
8	देशी मदिरा की भरी पेटियां	रू. 1.00 प्रति केस/पेटी/कर्टन

5. **निविदा में एकमुश्त मासिक ठेका राशि निविदत्त करनी होगी। ठेकेदार के मासिक बिल की राशि पर माल एवं सेवा कर (GST) की राशि की कटौती करने के उपरान्त मासिक ठेका राशि काटकर अनुबंधदाता को शेष राशि भुगतान कर दी जायेगी। जीएसटी संस्थान द्वारा राजकीय कोष में जमा कराई जावेगी।**
6. निविदादाता को श्रम विभाग का/पी.एफ/ई.एस.आई/GST का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पेन नम्बर संस्थान को निविदा के साथ उपलबध कराना होगा। अगर प्रस्तुत करने में असफल रहा तो **निविदा निरस्त की जा सकेगी।**
7. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ एनेक्सर ''ई'' में वर्णितानुसार बिड सिक्योरिटी (बोली प्रतिभूति राशि) की राशि बैंकर चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो ''राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

लिमिटेड'' के नाम देय हो जमा कराया जाना है। सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमानित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन सिक्योरिटी (जमानत राशि) के रूप में जमा करानी होगी। इस राशि में निविदा के साथ जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी की राशि समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि और जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित हो जाने के पश्चात 60 दिवस में लौटायी जायेगी।

8. सभी मदिरालयों हेतु आमत्रिंत निविदाओं के अनुसार कुल रूपये लगभग 139.91 लाख धनराशि का आकलन किया गया है। उक्त आधार पर ऑफर मात्रा मूल्य की 2 प्रतिशत अमानत राशि के आधार पर सम्पूर्ण निविदा मात्रा पर अमानत राशि रूपये 2.80 लाख बनती है। निविदादाता द्वारा ऑफर मात्रा के मुल्य की 2 प्रतिशत अथवा निविदा शर्तो में वर्णित अनुसार अमानत राशि जमा कराई जानी है। स्पष्ट किया जाता है कि निविदादाता द्वारा निविदा की अमानत राशि जमा कराई जावें। उक्तानुसार जमा अमानत राशि के आधार पर निविदा के ऑन–लाईन स्वीकार नही होने की स्थिति में अमानत राशि के कॉलम में रूपये 2.80 लाख वर्णित करें तथा उक्तानुसार गणना करते हुये निविदा शर्तो में वर्णित अनुसार वास्तविक अमानत राशि का डी.डी./ बैंक गारन्टी की स्केन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

9. सफल निविदादाता द्वारा निविदागत कार्य करने हेतु चूंकि, राजस्थान राज्य गंगागनर शुगर मिल के अधीनस्थ मदिरालय के कैंपस का उपयोग किया जायेगा, अतः इसके बदले में जीएसएम को मौद्रिक प्रतिदान देना होगा। उक्त दरों पर कार्य सेवा देते हुये सर्वाधिक प्रतिदान देने वाले निविदादाता को सफल घोषित किया जावेगा किन्तु, संस्थान को यह अधिकार होगा कि समुचित कारणों की उपस्थिति में सर्वाधिक बोलीदाता के अलावा किसी अन्य निविदा को सफल घोषित कर सकते है। निविदादाता को ऐसे मौद्रिक प्रतिदान की राशि बिड में भर कर अपलोड करनी होगी।

10. लोडिंग/अनलोडिंग कार्य के पेटे प्राप्य प्रभार को मदिरालय कार्यालय द्वारा संबंधित सेवा प्रापक से प्राप्त कर जमा कर लिया जावेगा तथा माह की समाप्ति के बाद सफल निविदादाता द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर सेवाकर व मासिक ठेका राशि की कटौती करके शेष राशि का अनुबंधदाता को द्वारा भुगतान किया जायेगा।

11. लोडिंग व अनलोडिंग कार्य करने वाले श्रमिकों को देय पारिश्रमिक राशि पर ई.एस.आई/ई.पी.एफ, **माल एवं** सेवा कर **(GST)** एवं अन्य कर ठेकेदार को वहन करने होंगे। निर्धारित तिथि तक आपके द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई की राशि जमा करवाकर चालान की एक प्रति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करानी होगी तथा छाया प्रतिलिपी बिल के साथ भी संलग्न करनी होगी। ई.पी.एफ/ई.एस.आई रिटर्न ठेकेदार द्वारा ही भरी जावेगी एवं श्रमिकों के ई.पी.एफ/ई.एस.आई समस्त हित/लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12. खाली बोतल, अद्धे एवं पव्वे में तथा अन्य पैकिंग मैटिरियल सामग्री में अनुबंधदाता द्वारा रखे गये श्रमिकों की वजह से कम्पनी को कोई हानि होती है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

13. मदिरालयों पर माल की आवक जावक पर अनुमानित वार्षिक व्यय के आंकड़े एनेक्सर ''ई '' में दर्शाये गये हैं। फिर भी इनमें कमी बेशी संभव है।

14. निविदा के साथ कान्ट्रेक्टर को लेबर रेग्यूलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट, 1970 एवं बाद में उक्त एक्ट में किये गये संशोधन सहित इसके समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी।

15. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा एवं पालना नहीं किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधदाता की होगी।

16. बोतल, अद्धे व पव्वे लोडिंग अनलोडिंग का भुगतान गणना के आधार पर मासिक रूप से ईकाई प्रभारी अधिकारी द्वारा रिकार्ड से वैरीफिकशन के पश्चात किया जावेगा।

17. कार्य करने वाले श्रमिकों के नाम, पते प्रतिदिन गोदाम प्रभारी को नोट करवायेंगे तथा ठेकेदार अपने रजिस्टर में भी उनके संबंध में सूचना रखेंगे एवं श्रमिकों का विवरण सुरक्षा गेट पर प्रतिदिन नोट करायेंगे। यथासंभव श्रमिकों के आधार कार्ड या अन्य पहचान दस्तावेज (आई डी प्रमाण) की एक प्रति स्वयं के अभिलेख में अवश्य रखें।

18. आबकारी एवं संस्थान के नियमानुसार लोडिंग अनलोडिंग कार्य करवाना होगा। श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां/अपराधिक मामलों में लिप्त पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधदाता की होगी। संस्थान को संबंधित श्रमिक के कारण होने वाले नुकसान की वसूली अनुबंधदाता से की जाकर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

19. प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत की दर से होगी। टेण्डर के साथ जमा कराई गयी अमानत राशि को समायोजित किया जा सकेगा तथा शेष प्रतिभूति राशि सफल निविदादाता को मुख्यालय में 15 दिवस में जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक निष्पादन के पश्चात बिना ब्याज लौटा दी जावेगी।
20. आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में संस्थान द्वारा आंशिक अथवा सम्पूर्ण आदेश निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपका कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. उपर्युक्त कार्य में प्रयुक्त सभी कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त विधिक प्रावधानों/दायित्वों के लिये अनुबंधदाता उत्तरदायी होंगे।
22. अनुबंधदाता द्वारा लोडिंग अनलोडिंग पर कार्य करने के लिये अनुभवी श्रमिकों को ही लगाया जावेगा एवं कोई भी बाल श्रमिक नहीं रखा जायेगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कम्पनी के प्रभारी संचालक के द्वारा किसी भी अधिकारी को सोल ऑर्बीट्रेटर नियुक्त किया जा सकेगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
24. उक्त अंकित दरें आपके कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये है। लेकिन संस्थान को आवश्यकता होने की स्थिति में तीन माह तक समयावधि बढाई जा सकती है।
25. इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर अवस्थित न्यायालय होगा।
26. लोडिंग अनलोडिंग कार्य मांग अनुसार नहीं करने पर उचित नोटिस जारी कर अनुबंधदाता के रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य स्त्रोतों से कार्य करवाया जावेगा।
27. स्टॉम्प्स रूल्स के अनुसार निर्धारित राशि के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर ठेकेदार को अनुबन्ध करना होगा एवं स्टाम्प राशि का व्यय भार स्वयं को ही वहन करना होगा।
28. सभी राजकीय/केन्द्रीय नियमों की पालना करनी होगी तथा ठेकेदार के बिलों में से नियमानुसार आयकर/ GST या अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी।
29. अनुबंधदाता को श्रम नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा एवं पैनकार्ड की प्रतिलिपी निविदा के साथ उपलब्ध करानी होगी।
30. निविदा प्रपत्र अनुबन्ध का भाग होगा।
31. अन्य नियम व शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, आरटीपीपी एक्ट, 2012 व आरटीपीपी नियम, 2013 अनुसार होंगे।
32. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने या कार्य सन्तोषजनक नहीं करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा धरोहर राशि आंशिक अथवा पूर्ण जब्त की जा सकेगी।
33. सफल निविदादाता द्वारा काम पर लगाये गये श्रमिकों/कर्मचारियों को भुगतान कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि के सामने करना होगा। उसके बाद सफल निविदादाता को मासिक दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।
34. यदि सफल निविदादाता को कोई श्रमिक कार्य सही ढंग से नहीं करता है एवं कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे हटाना होगा।
35. दो प्रतियो में सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
36. कार्य आदेश भी उपरान्त किसी भी समय ठेका समाप्ति के संबंध में संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा।
38 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
39 ई–तकनीकी निविदा का अंग होगा। इसमें सफल निवदादाता का ही वित्तीय ई–निविदा खोली जावेगी।
40 यदि सामान्य शर्तों एवं विशेष शर्तों में कोई विरोधाभास हो तो विशेष शर्त में विहित आशय ही मान्य किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
निविदा एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप निविदायें ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. विधिमान्यता :– निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
5. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
6. निरीक्षण :– (क) संस्थान या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एंव कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

   (ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय संस्थान की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद संस्थान किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
8. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
9. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :– (क) निविदा के साथ एनेक्सर ‘‘ई ’’ अनुसार बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

   (1) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

   (क) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

10. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु, निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

11. (1) करार एंव प्रतिभूति निक्षेप :– (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति राशि कार्योदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(2) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(5) (1) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

12. भुगतान :– (1) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(3) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

(4)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

13. वसूलियां :— परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

14. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

15. संस्थान किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से अधिकतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

16. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

17. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा।

18. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________
The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

  (i) hear all the parties to appeal present before him; and

  (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

ii. In case of procurement of Goods/services or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods/services of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure E

मदिरालय वार लोडिंग/अनलोडिंग वार्षिक अनुमानित व्यय

(राशि रू. लाखों में)

	मदिरालय	मदिरालय वार वार्षिक अनुमानित व्यय (लाखों में)	बिड सिक्योरिटी 2 प्रतिशत (लाखों में)
1.	झोटवाडा	14.13	0.28
2.	सीकर	11.05	0.22
3.	झुझुनू	9.24	0.18
4.	अजमेर	10.99	0.22
5.	भीलवाडा	6.41	0.13
6.	कोटा	5.50	0.11
7.	बांरा	4.07	0.08
8.	बून्दी	3.89	0.08
9.	मण्डोर (जोधपुर)	11.52	0.23
10.	रानी	3.17	0.06
11.	सिरोही	7.18	0.15
12.	भरतपुर	6.63	0.14
13.	अलवर	1.25	0.03
14.	धौलपुर	0.56	0.01
15.	सवाईमधोपुर	2.57	0.05
16.	उदयपुर	10.74	0.21
17.	चित्तौडगढ	8.14	0.16
18.	श्रीगंगानगर	18.63	0.37
19.	हनुमानगढ	2.95	0.06
20.	बीकानेर	1.29	0.03
	कुल	**139.91**	**2.80**

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुबंध–पत्र

1 यह करार पत्र आज दिनांक ...... माह .... सन 2017 को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल (जिसे इसमें आगे ''संस्थान'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझाा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

2. यह अनुबंध मदिरायल ....के लिये अवधि दिनांक ....से......................... तक होगी। इस अवधि को 3 माह वर्ष के लिए दिनांक ....तक वृद्धि की जा सकेगी।

3. चूंकि, अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल के अधीनस्थ ईकाई व मदिरालय कार्यालयों पर, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं/सेवाओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम .... में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

4. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपये .... की राशि .... निम्न प्रकार से जमा करायी है :

(1) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... द्वारा,

5 दिनांक ————————को जारी क्रयादेश/कार्यादेश भी इस अनुबंध का भाग होगा।

6 अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :

(1) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर संस्थान द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता ईकाई कार्यालय और उसके अधीनस्थ मदिरालयों में निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत प्रदाय करेगा।

(2) निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिखा हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगी।

(3) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या .... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

(4) भुगतान चैक या आरटीजीएस के जरिये किया जावेगा।

(5) माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु जारी आदेश में अंकित अवधि/विधि के अनुसार पूर्ण की जाएगी।

(6)करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न संस्थान द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा। इसके साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ....माह............सन् 2017 को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर
कम्पनी की ओर हस्ताक्षर पदनाम मय सील

दिनांक :

निविदादाता की ओर से गवाह 1

निविदादाता की ओर से गवाह 2

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तकनीकी बिड चैक लिस्ट

(तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1	निविदादाता का नाम	
2	हैसियत जिसके तहत निविदा प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3	पता मय पिनकोड, दूरभाष एवं ई–मेल	
4	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	अमानत राशि (बैंकर चैक/डीडी का विवरण) अनिवार्य निविदा प्रपत्र फीस (बैंकर चैक/डीडी का विवरण) अनिवार्य प्रोसेस फीस (बैंकर चैक/डीडी का विवरण) अनिवार्य	
6	शर्तों की स्वीकारोक्ति में शपथ पत्र (रू.100/– के नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पेपर पर संलग्न करें)	
7	माल एवं सेवा कर पंजीयन संख्या (GSTIN) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
8	श्रम अनुबंध (रेग्यूलेशन एवं अबोलिशन)अधिनियम 1970 के तहत अनुज्ञा पत्र (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
9	ईपीएफ कोड (पीएफ विभाग द्वारा आवंटित कोड दस्तावेज की प्रति (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
10	ईएसआई संख्या (ईएसआई विभाग द्वारा आवंटित संख्या दस्तावेज की प्रति (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
11	पूर्व में विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभाग में प्राप्त अनुभव यदि कोई हो तो, समर्थक दस्तावेज (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
12	यदि निविदादाता किसी सरकारी विभाग में किसी श्रेणी में श्रेणीबद्ध हो तो दस्तावेज (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर